<u>मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी</u>

2016

एम.ए.सी.पी. संख्या- 509/2017,

श्रीमती सूर्यमुखी आदि बनाम मैसर्स.मीनाक्षी मेटल इन्डस्ट्रीज आदि

<u>22.02.2020</u>

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली आज वास्ते निर्णय नियत है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सोनी तथा विपक्षी सं. 3 ओरियण्टल इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील शुक्ला उपस्थित हैं।

याचीगण व विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा 37B दाखिल किया गया है जिसके अनुसार याचीगण व विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग 3,48,000/- रूपये याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी, जिसमें धारा-140 एम.वी.एक्ट की धनराशि भी समाहित है।

37B सुलहनामा विगत नियत तिथि पर उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा 37B की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा 37B में दर्शित कुल मुबलिग 3,48,000/- रूपये प्रतिकर के रूप में लेने हेतु तैयार है जिसे विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु सहमत हैं। अतः याचिका सुलहनामा 37B के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीगण की याचिका सुलहनामा 37B के अनुसार निर्णीत की जाती है। विपक्षी सं. 3 ओरियण्टल इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिकर की धनराशि मुबलिग 3,48,000/- (तीन लाख अड़तालीस हजार) रूपये 30 दिन के अन्दर न्यायाधिकरण में जमा करें। याची सं.1 श्रीमती सूर्यमुखी व याची सं.2 कर्णप्रताप सिंह जो कि क्रमशः मृतक गजराज सिंह की पत्नी व पुत्र हैं । अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से प्रत्येक याची मुब. 1,74,000/-(एक लाख चोहत्तर हजार) रूपये प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक याची का मुबलिग-1,39,200/-(एक लाख उन्तालीस हजार दो सौ) रूपये 3 वर्ष के लिये सावधि जमा योजना में जमा किया जाएगा जिसका मासिक व्याज याचीगण प्राप्त करते रहेंगे। प्रत्येक याची 34,800/- (चौतीस हजार आठ सौ) रूपये एकाउण्ट पेयी चेक/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से प्राप्त करेंगे। सुलहनामा 37B इस आदेश का भाग रहेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार) 22/2/2020

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,

झांसी।